



2026:AHC:124884

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 19162 वर्ष 2026

सुनील चैन

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : देवेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, उमेश चन्द्र शुक्ला

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल,

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री देवेश कुमार शर्मा और राज्य की ओर से ए.जी.ए. की बातें सुनीं और अभिलेख देखा।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 248/2025 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 105 और 61(2) के तहत; थाना- गोविंद नगर, जिला- मथुरा) में विचारण चलने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की गुजारिश के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता का घर आवेदक के घर से सटा हुआ है। प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आवेदक अपनी जमीन पर किसी निर्माण कार्य की नींव डालने के लिए खुदाई कर रहा था, जिसके कारण शिकायतकर्ता का घर और उससे सटा एक और घर गिर गया। इन घरों के गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई।
4. उन्होंने आगे कहा कि प्रार्थना-पत्र देने वाले का घर, साथ ही शिकायत करने वाले और आस-पास रहने वाले दूसरे लोगों के घर, मिट्टी के टीले के पास बने हैं। इस सिलसिले में, प्रार्थना-पत्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



देने वाले ने नगर निगम में एक प्रार्थना-पत्र दी थी। इसमें उस ज़मीन के चारों ओर चारदीवारी बनाने की इजाज़त मांगी गई थी ताकि उसे गिरने से बचाया जा सके। साथ ही, यह भी कहा गया था कि जब तक यह दीवार बन न जाए, तब तक आस-पास रहने वाले लोग अपनी जगह खाली कर दें। बताया गया है कि नगर निगम के कहने के बावजूद, शिकायत करने वाले और आस-पास रहने वाले दूसरे लोगों ने अपने घर खाली नहीं किए। इसके बाद, 15.06.2025 को वे घर अचानक गिर गए, जिससे तीन लोगों की दुखद मौत हो गई। अधिवक्ता ने आगे बताया कि इस मामले में सक्षम अधिकारी ने जांच की थी, जिसके बाद मरने वालों के परिवारों को ₹4,00,000-₹4,00,000 का मुआवज़ा दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि घटना में गिरे घरों को फिर से बनाने के लिए ₹1,20,000 की रकम मंज़ूर की गई थी।

5. इसके अलावा, यह कहा गया है कि आवेदक ने कथित अपराध नहीं किया है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अधिवक्ता का तर्क है कि घरों का गिरना आवेदक की किसी हरकत या लापरवाही का नतीजा नहीं था, और इस बात की पुष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट और संबंधित एस.डी.एम. द्वारा 18.02.2025 को पारित आदेश से होती है। साथ ही, यह भी बताया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक अभिलेख नहीं है। अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, इसलिए आवेदक से हिरासत में पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है। आवेदक 18.06.2025 से जेल में बंद है। अंत में, यह कहा गया है कि ज़मानत पर रिहा होने पर, आवेदक ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुक़दमे की कार्यवाही में पूरा सहयोग करेगा।

6. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने ज़मानत की प्रार्थना-पत्र का ज़ोरदार विरोध किया, लेकिन ऊपर बताए गए तथ्यों को चुनौती नहीं दे सके।

7. इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्यों और आरोपी की भूमिका पर विचार करते हुए; साथ ही जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए; और **कपिल वधावन बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन इला 6765** मामले में इस न्यायालय की ज़मानत देने से जुड़े दिशा-निर्देश को देखते



हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक ज़मानत पाने का हकदार है। इसलिए, यह प्रार्थना-पत्र **स्वीकार की जाती है।**

8. ऊपर बताए गए अपराध में शामिल आवेदक- **सुनील चैन** को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक स्वीय बंधपत्र और दो ज़मानतदार पेश करे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करे:-

i. आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को वे तथ्य बताने से रुके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, ईमानदारी से मुकदमे/जांच में सहयोग करेगा।

iii. ज़मानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा भरे गए बंधपत्र की शर्तों के अनुसार पेश होगा।

9. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह ज़मानत निरस्त करने का आधार होगा।

10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले, संबंधित न्यायालय को आवेदक और ज़मानत देने वालों की पहचान, हैसियत और निवास के प्रमाण की पुष्टि करनी चाहिए।

11. संबंधित न्यायालय को आवेदक और ज़मानत देने वालों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन करना चाहिए।

12. इसके अलावा यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए ज़मानत आदेश प्रबंधन तंत्र (बीओएमएस) के ज़रिए संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजे।

13. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों जैसे कि **ज़मानत देने की नीतिगत रणनीति मामले में: स्वप्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021**, जिसका फैसला 31.01.2023 को आया और जो (2024) 10 एससीसीआपित 685 में रिपोर्ट हुआ; और **पिला पाहन उर्फ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169 वर्ष 2025**,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिसका फैसला 29.05.2026 को आया का पालन करते हुए, कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति 24 घंटे के अंदर आवेदक को मथुरा जेल अधीक्षक के ज़रिए ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल पर और विचारण न्यायालय को ई-मोड से भेजे।

जून 2, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

Translated Version. Not for Legal Use.